न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

मंयक अग्रवाल बनाम रामसिंह वगै0

मु.न. 34/2025

07-11-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील वादी की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:38:31 IST
Reason: SelfAttested